



महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय

चक सकीतरा, कुम्हेर, भरतपुर-321201

Ph. & Fax No. 05644-220025, Email- exam@msbrijuniversity.ac.in

Website – www.msbrijuniversity.ac.in

क्रमांक :- मसूबूवि/परीक्षा/2023/ 3827

दिनांक : 04.12.23

मुख्य परीक्षा 2024 के परीक्षा फार्म भरने की सूचना

महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर से सम्बद्ध भरतपुर, डीग एवं धौलपुर जिलों में स्थित महाविद्यालयों के समस्त स्वयंपाठी परीक्षार्थियों की मुख्य परीक्षा-2024 के लिए परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाईन प्रक्रिया से वेबसाईट www.msbuexam.in एवं विश्वविद्यालय वेबसाईट www.msbrijuniversity.ac.in से भरे जाने हेतु निम्नानुसार कार्यक्रम घोषित किया जाता है :-

क्र.सं.	पाठ्यक्रम	दिनांक
1	बी.ए., बी.कॉम. एवं बी.एससी. (स्वयंपाठी परीक्षार्थी) पार्ट द्वितीय एवं तृतीय	06.12.2023 से 15.12.2023 तक
2	एम.ए. एवं एम.कॉम (स्वयंपाठी परीक्षार्थी) फाइनल	11.12.2023 से 20.12.2023 तक

नोट :

1. विद्यार्थी को स्वयं की ABC ID को ऑनलाईन परीक्षा आवेदन पत्र में दर्ज करना अनिवार्य है।
2. ऑनलाईन परीक्षा आवेदन पत्र में विद्यार्थी को स्वयं का आधार नम्बर दर्ज करना अनिवार्य है।
3. विश्वविद्यालय में NEP 2020 स्कीम के अनुसार सेमेस्टर प्रणाली लागू होने के कारण प्रथम सेमेस्टर (स्नातक एवं स्नातकोत्तर) नियमित एवं स्वयंपाठी विद्यार्थियों के परीक्षा आवेदन पत्र पृथक से भरवाये जायेंगे।
4. सत्र 2022-23 में स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर पूर्वोद्ध अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों के परीक्षा आवेदन सेमेस्टर प्रणाली के अनुसार भरवाये जायेंगे।
5. उक्त अनुसार तिथियों में तिथि से अभिप्रायः प्रातः 12:00 बजे से प्रारंभ होकर रात्रि 11:59 बजे समाप्त होने वाले समय से है।
6. परीक्षा फार्म भरने सम्बन्धी समस्या के लिए हेल्पलाइन मोबाईल नं. 8290845992, 8290845986, 8172885663 एवं 7880501766 पर सम्पर्क करें।
7. विस्तृत विवरण के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.msbrijuniversity.ac.in का अवलोकन करें। परीक्षा फार्म सावधानी पूर्वक भरें। परीक्षा से सम्बन्धित कतिपय नियम दिशा-निर्देश के परिशिष्ट-‘अ’ में देखें। विस्तृत जानकारी के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर की हेण्डबुक के सम्बन्धित नियम/परिनियम/आर्डिनेन्स राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर की वेबसाईट www.uniraj.ac.in पर उपलब्ध है, जो इस विश्वविद्यालय पर भी समान रूप में लागू है।

(डॉ. फरबट सिंह)
परीक्षा नियंत्रक



महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय

चक सकीतरा, कुम्हेर, भरतपुर-321201

Ph. & Fax No. 05644-220025, Email- exam@msbrijuniversity.ac.in


Website – www.msbrijuniversity.ac.in

क्रमांक :- मसूबृवि/परीक्षा/2023/

दिनांक :

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :-

1. समस्त प्राचार्य, सम्बद्ध महाविद्यालयों को प्रेषित कर लेख है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि नियमित, पूर्वछात्र एवं स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के परीक्षा फार्म अलग-अलग संग्रहित किए जायें एवं यह भी सुनिश्चित करें कि परीक्षा फार्म सही भरे गए हैं एवं परीक्षा फार्म की हार्ड कॉपी दो प्रतियों में वांछित दस्तावेजों के साथ संलग्न है। परीक्षा फॉर्म के साथ इन्टरनेट से निकलने वाली अंकतालिका मान्य नहीं होगी।
2. वित्त नियंत्रक, महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि वे यह सुनिश्चित करने का श्रम करें कि मुख्य परीक्षा-2024 हेतु ई-मित्र कियोस्क एवं बैंक पेमेंट गेटवे द्वारा जमा किये गये परीक्षा शुल्क की राशि विश्वविद्यालय के सम्बन्धित बैंक खातों में जमा करवा दी गई है एवं जमा विवरण प्राप्त कर Reconcile करने का भी श्रम करें।
3. प्रबन्ध निदेशक, MD, RISL राजस्थान सरकार, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि MOU की शर्तानुसार परीक्षा शुल्क राशि महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर के खाते में T+2 दिवस में जमा होना सुनिश्चित करने का श्रम करें अन्यथा MOU की शर्तानुसार ब्याज राशि 12 प्रतिशत की दर से देनी होगी। सम्बन्धित ई-मित्र कियोस्क को यह भी सुनिश्चित करावे कि एक बार परीक्षा शुल्क जमा होने के पश्चात् किसी भी परिस्थिति में शुल्क वापस नहीं हो और ई-मित्र पर जमा शुल्क का टोकन निरस्त नहीं होना चाहिए।
4. सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान सरकार, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।
5. निजी सचिव, माननीय कुलपति/कुलसचिव, महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर।
6. उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव प्रथम एवं द्वितीय/सेलर, महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर।
7. प्री एण्ड पोस्ट फर्म को प्रेषित कर लेख है सम्बद्धता सूची में उपलब्ध सीटों के विवरण अनुसार ही फार्म भरे जाना सुनिश्चित करें। किसी भी स्थिति में सम्बद्ध महाविद्यालय में उपलब्ध सीटों के अतिरिक्त फार्म न भरवाये जावें।
8. संयोजक, परीक्षा आवेदन जाँच, महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर को प्रेषित कर लेख है कि बिन्दु संख्या 1 (i) के अनुसार परीक्षा फॉर्म एकत्रित करवाने की व्यवस्था करवायें एवं जाँच करावें।
9. सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता), महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर को प्रेषित कर लेख है कि विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में आने वाले समस्त राजकीय एवं निजी महाविद्यालयों की सूची मय आवंटित शीट एवं महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रम विषय, संकायों का ब्यौरा उपलब्ध करावें। जिनके परीक्षा फार्म 2024 भरवाये जाने हैं।
10. जनसम्पर्क अधिकारी, महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर को प्रेषित कर लेख है कि विज्ञप्ति को विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार भरतपुर, डीग एवं धौलपुर जिले में प्रकाशित होने वाले मुख्य समाचार पत्रों (राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर एवं राष्ट्रदूत) में एक बार प्रकाशित करवाने एवं समाचार के रूप में भी प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करें।
11. छात्र कल्याण अधिष्ठाता (DSW) महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर।
12. Manager, ICICI Bank, Bharatpur
13. ओ.आई.सी., वेबसाईट को प्रेषित कर लेख है कि विज्ञप्ति को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करें।
14. प्रभारी, विद्यार्थी पूछताछ केन्द्र को प्रेषित कर लेख है कि विद्यार्थियों की पूछताछ हेतु आवश्यक कार्यवाही करावें।
15. रक्षित पत्रावली


परीक्षा नियंत्रक



महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय

चक सकीतरा, कुम्हेर, भरतपुर-321201

Ph. & Fax No. 05644-220025, Email- exam@msbrijuniversity.ac.in

Website – www.msbrijuniversity.ac.in

कमांक :- मसूबूवि/परीक्षा/2021/

दिनांक :

मुख्य परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने सम्बन्धी दिशा-निर्देश

1. परीक्षा आवेदन पत्र, समय सारणी तथा परीक्षा आयोजन संबंधी जानकारियों हेतु वेबसाइट www.msbrijuniversity.ac.in and msbueexam.in का निरंतर अवलोकन करते रहें।
2. परीक्षा आवेदन व शुल्क जमा करने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :
 - (क) सर्वप्रथम छात्र वेबसाइट msbueexam.in पर संबंधित कक्षा की श्रेणी यथा (नियमित, स्वयंपाठी एवं पूर्वछात्र) का चयन कर अध्ययन किए गए विषयों का चयन करते हुए ऑनलाईन परीक्षा फॉर्म भरें।
 - (ख) फॉर्म ऑनलाईन पूर्ण भरने के पश्चात भरे गए फॉर्म के आधार पर विश्वविद्यालय के पोर्टल पर ही शुल्क का निर्धारण होगा। निर्धारित परीक्षा शुल्क की अदायगी ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया में निर्दिष्ट ऑनलाईन ई-मित्रा, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड (एटीएम)/क्रेडिट कार्ड से ही करनी होगी। शुल्क अन्य किसी माध्यम से जमा नहीं होगा। परीक्षा शुल्क जमा होने के बाद परीक्षा फॉर्म का प्रिंट तीन प्रतियों में निश्चित रूप से लें।
 - (ग) परीक्षार्थी ध्यान रखें :- (i) यदि परीक्षा फॉर्म में छपी हुई कोई भी सूचना सही नहीं है या आपके विवरण से मेल नहीं खाती है तो इसे निरस्त मान कर प्रारम्भ से नया परीक्षा फॉर्म भरें।
(ii) परीक्षा फॉर्म में मुद्रित सभी सूचनार्यें सही होने पर ही भुगतान की प्रक्रिया हेतु आगे बढ़ें।
(iii) एक बार परीक्षा शुल्क जमा करवाने के पश्चात् शुल्क वापस नहीं होगा।
(iv) यदि ICICI Payment Gateway के माध्यम से किया गया भुगतान तकनीकी कारणों से परीक्षा शुल्क का ट्रान्जेक्शन फेल हो जाता है तो ऐसी स्थिति में वेबसाइट पर उपलब्ध हेल्पलाईन नं. 8459698230 एवं 6375623136 पर कार्यालय समय प्रातः 09 से सायं 06 बजे तक सम्पर्क कर सकते हैं।
 - (घ) छात्र अपनी सुविधानुसार Debit Card/ Credit Card/Internet Banking/UPI से भुगतान करने के पश्चात् आवेदन पत्र की हार्डकॉपी का प्रिंट आउट प्राप्त कर परीक्षा फॉर्म पर अंकित सम्बन्धित महाविद्यालय में आवश्यक Documents के साथ अगले दो कार्य दिवसों में जमा करावें।
 - (ङ) नियमित विद्यार्थी ई-मित्र पर विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क जमा कराने से पूर्व महाविद्यालय द्वारा आपको प्रदान किए गए वैकल्पिक विषयों का सत्यापन करावें।
 - (च) ई-मित्रा से फॉर्म भरने हेतु छात्र सबसे पहले SSO Id से लॉगिन करने के पश्चात् ई-मित्रा Menu में जाकर Utility में जाकर Services में MSBU Main Examination Form का चयन करने के पश्चात् उक्तानुसार Process Follow करे।
 - (छ) निम्न श्रेणी के परीक्षार्थी परीक्षा फॉर्म भरने हेतु विश्वविद्यालय सम्पर्क करेंगे :-
 - (i) किसी कारणवश विश्वविद्यालय नियमानुसार नियमित/पूर्वछात्र से स्वयंपाठी अथवा स्वयंपाठी से नियमित श्रेणी परिवर्तित कर परीक्षा आवेदन पत्र भरने वाले परीक्षार्थी।
 - (ii) विश्वविद्यालय नियमानुसार महाविद्यालय परिवर्तित कर अन्य महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले नियमित परीक्षार्थी।

- (iii) जो छात्र मुख्य परीक्षा – 2023 में सम्मिलित नहीं हुए थे ऐसे सभी परीक्षार्थी।
 (iv) बी.ए. एडिशनल के सभी परीक्षार्थी फ्रेश परीक्षा फॉर्म भरेंगे। ध्यान रहे एक एडिशनल ऐसे विषय का चयन करे जिसका अध्ययन उन्होंने स्नातक उत्तीर्ण परीक्षा में नहीं किया हो।

2. परीक्षा फार्म जमा करने सम्बन्धी निर्देश :-

- A. परीक्षा फॉर्म की हार्डकॉपी सम्बन्धित महाविद्यालय में आवश्यक Document के साथ अगले दो कार्य दिवस में जमा करावें।
- B. नियमित परीक्षार्थी अपने परीक्षा फार्म आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित महाविद्यालय जिसके वे नियमित विद्यार्थी हैं, वहाँ पर जमा करवायें। इन्टरनेट वाली अंकतालिका मान्य नहीं होगी।
- C. पूर्वछात्र परीक्षा फार्म की हार्डकॉपी उसी महाविद्यालय में जमा करवायें, जिस महाविद्यालय से नियमित परीक्षार्थी के रूप में अनुत्तीर्ण हुये थे। परन्तु ऐसे महाविद्यालय जो बन्द हो चुके हैं उनके पूर्वछात्र निकटवर्ती राजकीय महाविद्यालयों में परीक्षा फार्म जमा करवायेंगे। सम्बन्धित महाविद्यालय ऐसे छात्रों की पृथक से सूची तैयार करेंगे तथा विलम्ब शुल्क सहित आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि के पश्चात् पाँच कार्य दिवसों तक विश्वविद्यालय को प्रेषित करेंगे।
- D. संबंधित महाविद्यालय में जमा होने वाले ऐसे आवेदन पत्र जिनमें राजस्थान शिक्षा बोर्ड/महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर से पृथक मार्कशीट/प्रव्रजन प्रमाण पत्र संलग्न हो, को पृथक से सूचीबद्ध किया जावेगा।
- E. सम्बन्धित महाविद्यालय मुख्य परीक्षा-2024 के आवेदन पत्र विश्वविद्यालय में अन्तिम तिथि के उपरान्त पाँच (05) कार्य दिवसों में पूर्ण जाँच करके प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणीकरण के साथ 50 रुपये के स्टॉप पर शपथ पत्र प्रस्तुत कर जमा करावें।
- F. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक एवं स्नातकोत्तर पूर्वाह्न कक्षाओं हेतु आवंटित सीटों पर आवंटित विषयों के अनुसार ही नियमित छात्रों से फार्म भरवाए गए हैं, इस आशय का शपथ-पत्र संबंधित प्राचार्यों द्वारा विश्वविद्यालय में परीक्षा आवेदन पत्रों की सूची के साथ प्रेषित करेंगे।
- G. सम्बन्धित महाविद्यालय परीक्षा आवेदन पत्र अग्रेषित करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षार्थी उस कक्षा की पात्रता पूर्ण करता है तथा उसके परीक्षा आवेदन-पत्र की सम्पूर्ण प्रविष्टियां पूर्ण रूप से सही भरी जा चुकी है। यदि आवेदन पत्र में किसी प्रकार की प्रविष्टि जैसे - परीक्षार्थी के निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर, पूर्व में उत्तीर्ण किये गये अनिवार्य विषयों के नाम, प्राप्तांको का विवरण, पूर्व की परीक्षा के अनुक्रमांक अथवा परीक्षार्थी के नामांकन, फोटो आदि नहीं पाये जाते हैं तो उन्हें परीक्षार्थी द्वारा पूर्ण करवाने के पश्चात् ही परीक्षा आवेदन पत्र निर्धारित महाविद्यालय पर जमा करें। ई-मित्र के द्वारा देय रसीद की फोटोप्रति के पीछे जमाकर्ता के हस्ताक्षर एवं महाविद्यालय की मोहर अंकित कर परीक्षार्थी को रसीद के रूप में प्रदान करें, छात्र इस रसीद को सबूत के तौर पर सुरक्षित रखें। महाविद्यालय द्वारा यह ध्यान रखा जाना है कि आवेदन पत्र की कम्प्यूटर प्रति ऊपर रखें तथा उसके नीचे कार्यालय प्रति मय पूर्व में उत्तीर्ण आवश्यक अंकतालिकाएं आदि संलग्न हों। उपरोक्त कारणों से परीक्षा आवेदन पत्र निरस्त होने की स्थिति में सम्बन्धित महाविद्यालय ही जिम्मेदार होगा।
3. माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार नियमित छात्र/छात्राओं की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है, यह सम्बन्धित महाविद्यालय प्राचार्य सुनिश्चित कर लें अन्यथा ऐसी स्थिति में परीक्षा फार्म प्रमाणन के लिए सम्बन्धित महाविद्यालय ही जिम्मेदार होगा।
- नोट :- पूर्व की भाँति केवल स्वयंपाठी छात्रों हेतु ही उनके परीक्षा फार्म अग्रेषण का शुल्क 12/- रु. प्रति छात्र सम्बन्धित महाविद्यालय, जो संग्रहण केन्द्र होगा, को देय होगा।
4. परीक्षार्थियों द्वारा ई-मित्र कियोस्क के अलावा अन्य किसी माध्यम (जैसे नकद/बैंक ड्राफ्ट/चैक/पोस्टल ऑर्डर आदि) के द्वारा जमा कराया गया परीक्षा शुल्क किसी भी परिस्थिति में विश्वविद्यालय को मान्य नहीं होगा।

5. ई-मित्र हेल्प लाईन नं. टोल फ्री नम्बर- 1800 180 6127

ई-मित्र आईडी - ccc.emitra@gmail.com

Technical Support :-

0141- 2221424 helpdesk.emitra@rajasthan.gov.in

0141- 2221425 helpdeskl.emitra@rajasthan.gov.in

0141- 6450126, 0141 - 6450109

6. परीक्षार्थी ध्यान रखें कि विश्वविद्यालय में डाक द्वारा प्राप्त परीक्षा फार्मों पर विचार नहीं किया जाएगा। अतः ऐसे परीक्षा फार्म स्वतः ही निरस्त समझे जाएंगे।

नोट : परीक्षा-2023 में स्नातक प्रथम वर्ष व स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध में उत्तीर्ण छात्र आगामी कक्षा का परीक्षा आवेदन पत्र भरते समय उन्हीं विषयों का चयन करेंगे, जिनका उन्होंने स्नातक पार्ट-। व स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध में किया था। ऐसा नहीं करने पर आवेदन पत्र स्वतः निरस्त कर दिया जावेगा तथा उनका आवेदन शुल्क वापिस नहीं किया जावेगा। महाविद्यालय भी सही विषय भरा जाना सुनिश्चित करें।

7. समस्त परीक्षार्थी ध्यान रखें कि चयनित वैकल्पिक विषयों का एक बार चयन करने के पश्चात् बाद में किसी भी परिस्थिति में बदलाव संभव नहीं होगा।

8. परीक्षार्थी परीक्षा फॉर्म को सावधानी पूर्वक भरें, अन्यथा

A. स्वयंपाठी/पूर्व/नियमित परीक्षार्थी के फॉर्म में गलती होने पर परीक्षा फॉर्म की दोनों प्रतियों में गलती को लाल स्याही से ठीक कर प्रमाण सहित संबंधित महाविद्यालय में जमा करायें। परीक्षा फॉर्म में एक गलती पर ₹100/- एवं एक से ज्यादा गलती होने पर अधिकतम ₹200/- महाविद्यालय में जमा कराना होगा।

B. विश्वविद्यालय में परीक्षा फॉर्म जमा करने के पश्चात् परीक्षा फॉर्म में सुधार करना पडता है तो प्रति गलती ₹200/- एवं एक से अधिक गलती पर अधिकतम ₹300/- जमा करने पर सुधार संभव होगा।

C. सम्बन्धित महाविद्यालय परीक्षार्थियों के परीक्षा फार्मों की सावधानी पूर्वक जाँच कर लें एवं प्राचार्य गलतियों के लिए जिम्मेदार होंगे। अन्यथा परीक्षा फॉर्म में किसी भी प्रकार की गलती होने पर ₹400/- प्रति परीक्षा फॉर्म संशोधन पर सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय को अदा करने होंगे।

D. महाविद्यालय द्वारा परीक्षार्थियों से परीक्षा फॉर्म में सुधार से प्राप्त राशि विश्वविद्यालय को जमा करानी होगी। यह राशि बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में कुलसचिव, महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर को देय होगी।

9. ऐसे छात्र जिन्होंने अपनी परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर से उत्तीर्ण की है वे अपनी अंकतालिका की स्वयं सत्यापित प्रति परीक्षा फार्म की हार्ड कॉपी के साथ संलग्न करें।

10. राजस्थान बोर्ड/महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर के अतिरिक्त किसी अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय से परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी अपना मूल प्रव्रजन प्रमाण-पत्र (माईग्रेसन) एवं मूल अंकतालिका संलग्न करें।

11. जो छात्र पूर्व में ही इस विश्वविद्यालय में नामांकित है और स्नातक पार्ट द्वितीय तथा पार्ट तृतीय एवं स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध के लिए आवेदन करते हैं, उन्हें भी अपनी गत उत्तीर्ण कक्षा की अंकतालिका की स्वयं सत्यापित फोटो प्रति परीक्षा आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

12. ऐसे छात्र जो पूर्व में किसी अन्य विश्वविद्यालय में नामांकित है और जो प्रथम बार महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर द्वारा आयोजित परीक्षा में प्रविष्ट हो रहे हैं, ऐसे समस्त परीक्षार्थियों को इस विश्वविद्यालय में नामांकन कराना अनिवार्य है।

13. परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा केन्द्र आवंटित करने संबंधी सूचना उनके परीक्षा प्रवेश-पत्र में उपलब्ध करायी जायेगी।
14. परीक्षा आवेदन पत्र भरने वाले छात्र अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, बोर्ड/विश्वविद्यालय की अंकतालिका के अनुसार ही भरें तथा परीक्षा आवेदन पत्र में आधार नम्बर के साथ अपनी ABC ID इन्द्राज कराना अनिवार्य है। जिसकी जिम्मेदारी स्वयं परीक्षार्थी की होगी अन्यथा बिना आधार नम्बर एवं ABC ID के परीक्षा आवेदन को निरस्त कर दिया जावेगा।
15. ऐसे परीक्षार्थी जो ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से परीक्षा शुल्क जमा कराने के पश्चात् निर्धारित समय सीमा में परीक्षा फार्म संबंधित महाविद्यालय में जमा नहीं कराते हैं, उन्हें सिर्फ परीक्षा शुल्क जमा कराने के आधार पर परीक्षा में सम्मिलित होने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। शुल्क जमा कराने के पश्चात् किसी भी परिस्थिति में शुल्क लौटाया नहीं जायेगा।
16. समस्त स्नातक (प्रथम वर्ष), स्नातकोत्तर (पूर्वाद्ध) श्रेणी बदलकर नियमित/पूर्व छात्र से स्वयंपाठी अथवा स्वयंपाठी से नियमानुसार नियमित परीक्षार्थी के रूप में, स्नातक, स्नातकोत्तर में अंक सुधार हेतु सम्मिलित परीक्षार्थियों को फ्रेश फॉर्म विश्वविद्यालय से सम्पर्क करने के उपरांत ही भरा जा सकेगा।

नोट :-

- I. शारीरिक रूप से विकलांग, नेत्रहीन, मूक बधिर (स्थाई/आंशिक) छात्रों को केवल परीक्षा शुल्क की छूट है। इस संबंध में वरिष्ठ विशेषज्ञ द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र जो कि चिकित्सा अधिकारी से प्रति हस्ताक्षरित हो, आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। अन्यथा सामान्य निर्धारित शुल्क देय होगा।
- II. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उक्त बिन्दु संख्या-1 में वर्णित के अतिरिक्त संबंधित महाविद्यालय द्वारा अन्य कोई शुल्क परीक्षार्थियों से नहीं लिया जावे।


(परीक्षा नियंत्रक)

परिशिष्ट- 'अ'

अ - स्नातक परीक्षा हेतु कतिपय नियम :

(विस्तृत जानकारी के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर की हेण्डबुक के सम्बन्धित नियम/परिनियम/आर्डिनेन्स देखे जा सकते हैं, जो राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर की वेबसाईट www.uniraj.ac.in पर उपलब्ध हैं। जो समान रूप से इस विश्वविद्यालय पर प्रभावी हैं।)

1. राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के आर्डिनेन्स-176 (जो महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर पर भी समान रूप में लागू है) के अनुसार परीक्षा फार्म भरने की तिथि से ठीक 2 वर्ष पूर्व से भरतपुर, डीग व धौलपुर जिले के निवासी ही स्वयंपाठी परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। इस आशय का प्रमाण-पत्र परीक्षा फार्म के साथ देना होगा। उक्त प्रावधान से निम्नलिखित को छूट मिलेगी।
 - a) ऐसे सरकारी कर्मचारियों के आश्रित जिनका स्थानान्तरण भरतपुर, डीग व धौलपुर जिले में हुआ हो।
 - b) ऐसे व्यक्ति जो स्थायी रूप से भरतपुर, डीग व धौलपुर जिले में निवास करने लगे हों।
 - c) भरतपुर, डीग व धौलपुर जिले के मूल निवासी (Bonafide Permanent Resident)।
 - d) ऐसे रक्षा बल (Defence Personnel) जो भरतपुर, डीग व धौलपुर जिले में परीक्षा फार्म भरने की दिनांक को पदस्थापित हो।
2. राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर आर्डिनेन्स - 170-ए (जो महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर पर भी समान रूप में लागू है) के अनुसार स्वयंपाठी छात्रों के लिए वही पाठ्यक्रम लागू होगा जो नियमित परीक्षार्थियों के लिये लागू है। परन्तु विश्वविद्यालय द्वारा स्कीम में समय - समय पर किया गया संशोधन भी लागू होगा।
3. राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर आर्डिनेन्स-175 (जो महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर पर भी समान रूप में लागू है) के अनुसार स्वयंपाठी परीक्षार्थियों को निम्नलिखित विषयों में परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं है - टैक्सटाईल क्राफ्ट, इन्वेस्टिगेटिव बायोटेक्नोलॉजी, शीप एवं वूल, लाइव स्टॉक एण्ड डेयरिंग, टेक्सटाईल, ड्राईंग एण्ड पेंटिंग, फारेस्ट रिसोर्सज एण्ड देयर यूटीलाइजेशन, रूरल डवलपमेन्ट, सिन्धी, फ्रेन्च, जर्मन, रशियन, फिजीकल एज्युकेशन, ड्रामेटिक्स, जियोलॉजी एण्ड माइनिंग, एन्थ्रोपॉलोजी, पुस्तकालय-विज्ञान, मनोविज्ञान, सैनिक विज्ञान एवं सूचना विज्ञान तथा मॉस कम्प्यूनिकेशन।
4. स्नातक स्वयंपाठी छात्रों को अनिवार्य विषय सामान्य हिन्दी, सामान्य अंग्रेजी तथा नियमित छात्रों को सामान्य हिन्दी, सामान्य अंग्रेजी, अनिवार्य कम्प्यूटर (सैद्धान्तिक) तथा पर्यावरण अध्ययन विषय को पाठ्यक्रम की अवधि में उत्तीर्ण करना आवश्यक है।
5. स्नातक स्वयंपाठी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले ऐसे परीक्षार्थी जो किसी ऐसे वैकल्पिक विषय जिसमें प्रायोगिक परीक्षा का प्रावधान है, की परीक्षा में सम्मिलित होते हैं, तो उन्हें सम्बन्धित विषय का प्रायोगिक प्रशिक्षण विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण केन्द्र से लेना अनिवार्य है। प्रायोगिक प्रशिक्षण का निर्धारित शुल्क का 70 प्रतिशत सम्बन्धित महाविद्यालय में एवं शेष 30 प्रतिशत राशि परीक्षा फॉर्म के साथ विश्वविद्यालय में जमा कराना होगा तथा प्राप्त प्रमाण-पत्र को प्रायोगिक परीक्षा के दिन निर्धारित परीक्षा केन्द्र पर जमा करवाना होगा अन्यथा वे परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे।
6. राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर आर्डिनेन्स 81-I(A) (जो महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर पर भी समान रूप में लागू है) के अनुसार स्वयंपाठी के रूप में पार्ट-। उत्तीर्ण छात्र यदि श्रेणी बदलकर नियमित परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा देना चाहते हैं तो उनके लिए पार्ट-। में 45 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है। कॉलेज शिक्षा प्रवेश नीति के अनुसार महिलाओं को 45 प्रतिशत की अनिवार्यता से छूट मिलेगी।


7. राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर आर्डिनेन्स 86-(B)-I तथा आर्डिनेन्स 177 (जो महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर पर भी समान रूप में लागू है) के अनुसार विश्वविद्यालय सिंडीकेट/प्रबन्ध मण्डल से समकक्षता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा ऑटोनोमस महाविद्यालय से स्नातक पार्ट-। उत्तीर्ण छात्र पार्ट-।। की परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं परन्तु
 - a) ऐसे छात्र उन्हीं वैकल्पिक विषयों में परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे जिनका चयन पार्ट-। में किया था। ऐसे छात्रों को अनिवार्य विषय सामान्य हिन्दी, सामान्य अंग्रेजी से छूट मिलेगी परन्तु अनिवार्य विषय पर्यावरण अध्ययन तथा प्रारम्भिक कम्प्यूटर अनुप्रयोग पार्ट-। के साथ उत्तीर्ण नहीं किये हो तो उनकी परीक्षा देनी होगी।
 - b) ऐसे छात्रों की श्रेणी (Division) का निर्धारण पार्ट-।।/।।। में प्राप्तांको के आधार पर होगा तथा उन्हें प्रदान की जाने वाली उपाधि पर इस आशय का अंकन किया जावेगा कि 'छात्र द्वारा इस विश्वविद्यालय के क्षेत्राधीन दो वर्ष तक अध्ययन किया गया है'।
8. राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के आर्डिनेन्स - 144 (जो महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर पर भी समान रूप में लागू है) के अनुसार नियमित परीक्षार्थियों के लिए 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले परीक्षार्थियों के परीक्षा आवेदन पत्र को महाविद्यालय द्वारा सत्यापित न किए जाएं।
9. स्नातक कला (नियमित/स्वयंपाठी) में वैकल्पिक विषय के रूप में तीन साहित्य विषय तथा तीन प्रायोगिक विषय चयन नहीं कर सकते हैं।
10. स्नातक कला (नियमित/स्वयंपाठी) में हिन्दी साहित्य के साथ उर्दू एवं संस्कृत के साथ परशियन का चयन नहीं कर सकते हैं।
11. स्नातक कला (नियमित/स्वयंपाठी) में पुरुष परीक्षार्थी गृह विज्ञान वैकल्पिक विषय के रूप में चयन नहीं कर सकते हैं।
12. स्नातक में वैकल्पिक विषय के रूप में कम्प्यूटर अनुप्रयोग विषय का चयन नियमित/स्वयंपाठी परीक्षार्थी नहीं कर सकते हैं।
13. स्नातक (नियमित/स्वयंपाठी) परीक्षा में राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर आर्डिनेन्स 153-B (जो महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर पर भी समान रूप में लागू है) के अनुसार पार्ट-। में उत्तीर्ण परीक्षार्थी तीन वर्ष से अधिक अन्तराल के पश्चात् अगली कक्षा पार्ट-।। की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। उन्हें पुनः पार्ट-। की परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। परन्तु पूर्व में उत्तीर्ण प्रायोगिक विषय की परीक्षा से छूट मिलेगी।
14. श्रेणी/अंक सुधार - स्नातक (नियमित/स्वयंपाठी) पार्ट-।/।।/।।। उत्तीर्ण परीक्षार्थी राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर आर्डिनेन्स-169-ई(i) (जो महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर पर भी समान रूप में लागू है) के अनुसार केवल उत्तीर्ण वर्ष से ठीक अगले वर्ष अंक/श्रेणी सुधार हेतु उन्ही विषयों में तथा उस समय लागू सिलेबस के अनुसार परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। यह ध्यान रखे कि ऐसे परीक्षार्थी को प्रायोगिक विषयों (यदि हो) की परीक्षा भी पुनः देनी होगी।
15. राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर आर्डिनेन्स 193&C(i) (जो महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर पर भी समान रूप में लागू है) के अनुसार स्नातक (नियमित/स्वयंपाठी) में यदि कोई छात्र किसी पेपर की परीक्षा एक प्रयास में उत्तीर्ण नहीं कर पाता है तो छात्र के उस विषय में न्यूनतम अंक ही श्रेणी (Division) निर्धारण हेतु जोड़े जावेंगे।
16. विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम के अनुसार नॉन-कॉमर्स परीक्षार्थियों को बी.कॉम. पार्ट-। में अतिरिक्त अनिवार्य विषय बुक कीपिंग एवं अकाउटेन्सी की परीक्षा में सम्मिलित होना होगा।
17. स्नातक ऑनर्स, बी.बी.ए. बी.सी.ए., बी.एड., एम.एड., एलएल.बी. डी.एल.एल. एवं पी.जी.डी.सी.ए. पाठ्यक्रम केवल नियमित परीक्षार्थियों के लिए ही लागू है।
18. पूर्वछात्र (Ex-Student) :- राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर आर्डिनेन्स 164 (जो महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर पर भी समान रूप में लागू है) के अनुसार ऐसे नियमित परीक्षार्थी जो परीक्षा-2023/पूर्व परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे थे, वे पुनः उसी कक्षा की पूर्वछात्र के रूप में परीक्षा में सम्मिलित होंगे। उन्हें प्रायोगिक विषयों की पुनः परीक्षा देने से छूट मिलेगी।

सभी पूर्वछात्रों के परीक्षा फार्म उसी महाविद्यालय में जमा होंगे जहां के वे नियमित परीक्षार्थी रहे थे।

19. राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर आर्डिनेन्स 182 (जो महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर पर भी समान रूप में लागू है) के अनुसार परीक्षा शुल्क एक बार जमा होने के पश्चात् लौटाया नहीं जावेगा।
20. राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर आर्डिनेन्स 168-ए एवं बी (जो महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर पर भी समान रूप में लागू है) के प्रावधानों के अनुसार छात्र एक वर्ष में दो डिग्रियों की परीक्षा नहीं दे सकते हैं। अन्यथा परीक्षार्थी की दोनों परीक्षाएं निरस्त करने का प्रावधान है।
21. राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर आर्डिनेन्स 169-H (जो महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर पर भी समान रूप में लागू है) के अनुसार परीक्षा परिणाम घोषित होने/अंकतालिका जारी होने के पश्चात् यदि किसी प्रकार की गलती संज्ञान में आती है, तो परीक्षा परिणाम/अंकतालिका में आवश्यक संशोधन करने का अधिकार विश्वविद्यालय को है।
22. शारीरिक रूप से विकलांग, नेत्रहीन, मूक बधिर (स्थाई/आंशिक) छात्रों को केवल परीक्षा शुल्क की छूट है। इस संबंध में वरिष्ठ विशेषज्ञ द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र जो कि चिकित्सा अधिकारी से प्रति हस्ताक्षरित हो, आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। अन्यथा सामान्य निर्धारित शुल्क देय होगा।
23. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उक्त बिन्दु संख्या-I में वर्णित के अतिरिक्त संबंधित महाविद्यालय द्वारा अन्य कोई शुल्क परीक्षार्थियों से नहीं लिया जावे।

ब - स्नातकोत्तर परीक्षा हेतु कतिपय नियम :

24. स्नातक परीक्षा के उपरोक्त बिन्दु संख्या 1, 2, 5, 8, 19, 20 व 21 स्नातकोत्तर परीक्षा में भी लागू होंगे।
25. बी.टेक. उत्तीर्ण छात्र एम.ए./एम.एससी.(मैथेमेटिक्स) के लिए आवेदन पत्र नहीं भर सकते। एम.ए./एम.एससी. गणित के लिए स्नातक स्तर पर गणित विषय होना आवश्यक है।
26. श्रेणी/अंक सुधार हेतु स्नातकोत्तर वार्षिक पद्धति परीक्षार्थियों के लिए प्रावधान :
 - a) राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर आर्डिनेन्स 169-ई (ii) (जो महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर पर भी समान रूप में लागू है) - स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध/उत्तरार्द्ध (वार्षिक पद्धति - परीक्षा 2023) में उत्तीर्ण परीक्षार्थी, एक या अधिकतम दो प्रश्न-पत्र (सैद्धान्तिक) में अंक सुधार हेतु आवेदन कर सकते हैं। प्रायोगिक प्रश्नपत्रों में अंक सुधार की सुविधा नहीं है।
 - b) राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर आर्डिनेन्स 179 (जो महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर पर भी समान रूप में लागू है) के तहत सभी समतुल्य (Equivalent) विश्वविद्यालयों से पिछले वर्षों में एम.ए./एम.कॉम. में उत्तीर्ण विद्यार्थी उन्हीं विषयों में वर्तमान पाठ्यक्रमानुसार इस आर्डिनेन्स के तहत पूर्वार्द्ध एवं उत्तरार्द्ध के सभी विषयों में एक साथ श्रेणी सुधार हेतु परीक्षा में स्वयंपाठी के रूप में सम्मिलित हो सकते हैं।
 - c) एम.ए./एम.एससी. के नियमित परीक्षार्थी को पूर्ण अनुत्तीर्ण रहने पर पूर्वछात्र के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा ऐसे परीक्षार्थियों को सभी सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक प्रश्न-पत्रों में पुनः प्रविष्टि हेतु आवेदन करना होगा।


परीक्षा नियंत्रक